

तापमान



अधिकतम 34.0 डिग्री
न्यूनतम 26.8 डिग्री

हरिभूमि बिलासपुर भूमि

बिलासपुर, मंगलवार 16 जुलाई 2024

बिल्हा | मस्तूरी | तखतपुर | मुंगेली | कोटा | लोरमी | सरगांव | पेंड़ा | रतनपुर | पथरिया



शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खुले ट्रांसफार्मर दुर्घटना को आमंत्रण देते रहते हैं।

खबर संक्षेप

लापरवाह छात्रावास अधीक्षक निलंबित

बिलासपुर। संस्थान से लगातार अनुपस्थित रहने और लापरवाही के आरोप में तखतपुर विकासखण्ड के प्री मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बेलसरी के अधीक्षक देवेन्द्र पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अरविश शरण ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर पाण्डेय के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि श्री पाण्डेय अधिकांश बार संस्था के निरीक्षण के दौरान गायब रहे। छात्रावास के बच्चों के अनुसार उन्हें नाश्ता नहीं मिलता और अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। काम भी रूचि नहीं दिखाने पर चार्ज देने के आदेश जारी किए गए। लेकिन उन्होंने चार्ज भी नहीं दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के कई आदेशों की अवज्ञा की गई। कर्तव्यहीनता के लिए जारी नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। इसलिए देवेन्द्र पाण्डेय का सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरित काम करने पर निलंबित कर दिया गया है। उनका इस दौरान मुख्यालय एसीटीडीब्ल्यू कार्यालय बिलासपुर होगा। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

खराब सड़क और गड्डे से लोग परेशान



बिलासपुर। नर्मदा नगर चौक से उसलापुर जाने वाली बासयपास सड़क शीवांस धर्मशाला के पास पूरी तरह से खराब हो चुकी है। यहां बड़े-बड़े गड्डे हो गए हैं। बारिश के चलते अब इन गड्डों में पानी भर रहा है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले नागरिक परेशान हैं। आसपास के लोग इसे लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और अफसरों से शिकायत भी कर चुके हैं, इसके बाद भी अब तक इस सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है।

उमस ने किया बेहाल तापमान 34 डिग्री पर

बिलासपुर। बारिश के रुकते हुए मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। चटक धूप के साथ उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सोमवार को दिन का तापमान जहां सामान्य से 3.3 तो रात में 2.3 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। रूक-रूककर ही रही बारिश ने उमस बढ़ा दिया है। सोमवार सुबह से ही आसपास साफ रही जिसके चलते उमस का एहसास हो रहा था। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री दर्ज की गई। जबकि 24 घंटे के भीतर केवल 6.2 मिमी बारिश ही हो पाई। मौसम विशेषज्ञ डॉ.एचपी चंद्र ने बताया कि एक निम्न दाब का क्षेत्र 19 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। प्रदेश के अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिलासपुर जिले में 1 जून 2024 से लेकर 328.4 मिमी बारिश हो चुकी है।

हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत की, याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में

कांग्रेस को जमीन आबंटन का मामला निराकृत, कलेक्टर लेंगे फैसला

हरिभूमि न्यूज | बिलासपुर

पुराना बस स्टैंड स्थित राज्य परिवहन निगम की स्वामित्व वाली जमीन को कांग्रेस कार्यालय भवन के लिए आवंटित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका निराकृत कर दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले में कलेक्टर को दो सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

इस मामले में शासन की ओर से कहा गया था कि आवंटित जमीन की फीस की राशि कुल एक करोड़ 70 लाख रूपए कांग्रेस कमेटी दो साल में जमा नहीं कर सकती है, दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने जवाब में कहा था कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है इसलिए यह राशि जमा नहीं हो सकती। कांग्रेस कमेटी की ओर से बिलासपुर कलेक्टर के समक्ष 6 महीने के अतिरिक्त समय की मांग भी की गई है। इसी आवेदन पर कलेक्टर को फैसला लेने हाईकोर्ट ने कहा है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील अर्धोजित सरकार का कहना है कि चूंकि यह फैसला मैरिट के आधार पर नहीं हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।

बिलासपुर निवासी रजनीश ताम्रकार ने

एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, शासन शहर के पुराने बस स्टैंड स्थित जमीन को कांग्रेस दफ्तर हेतु आवंटित कर रहा है, जबकि इस जगह का इस्तेमाल आम लोगों के हित में किया जाना था। यहां यह जमीन अस्पताल के लिए आवंटित है, इसलिए अस्पताल ही बनना चाहिए। याचिका में कहा गया कि सार्वजनिक उपयोग के स्थल को किसी राजनैतिक दल को सौंप देना प्रजातांत्रिक व्यवस्था के भी खिलाफ है। इस जनहित याचिका पर पहले चीफ जस्टिस की डीविजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पूर्ववर्ती शासन ने कोर्ट को बताया था कि जमीन का आवंटन निगम अधिनियम नहीं, बल्कि भू राजस्व संहिता के अनुसार कैबिनेट से प्रस्ताव पास करते हुए किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि करोड़ों की जमीन को कौड़ी के मोल दे दिया गया है और इसका आबंटन निरस्त किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने एक ओर मुद्दा उठाया था कि अगर किसी राजनीतिक दल को पार्टी कार्यालय भवन के लिए जगह आवंटित की गई है, तो दोबारा उसी शहर में जमीन आवंटित नहीं की जा सकती।

नियमों का पालन ही नहीं किया गया

इसके जवाब में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अतिक्रमिit शासकीय भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन व वार्षिक भू भटक के निर्धारण, वसूली प्रक्रिया के सम्बन्ध में छ.ग. राजस्व पुस्तक परिपत्र के वर्तमान प्रावधानों में आंशिक संशोधन किए गए हैं। इसके अनुसार 7500 (सात हजार पांच सौ वर्गफुट तक की शासकीय भूमि के 30 वर्षीय पट्टे पर आबंटन तथा अतिक्रमिit शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। इससे अधिक शासकीय भूमि के पट्टे पर आबंटन तथा अतिक्रमिit शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार राज्य शासन को है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नियमों का पालन किए बिना ही छ.ग. शासन द्वारा कांग्रेस भवन निर्माण हेतु 12 फरवरी 2022 को आदेश पारित किया गया है जो कि सर्वथा विधि विरुद्ध है।

रेवेन्यू बुक सर्कुलर के अनुसार जमीन का आवंटन

पूर्व में राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने जवाब पेश किया था। इसमें शासन ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को सही तथ्यों की जानकारी नहीं है। कांग्रेस भवन के लिए जमीन का आवंटन नगर निगम भूमि अंतरण नियम के तहत नहीं किया गया है। राज्य शासन ने रेवेन्यू बुक सर्कुलर के अनुसार जमीन का आवंटन किया है। जवाब के मुताबिक राज्य परिवहन निगम के स्वामित्व वाली यहां तीन एकड़ जमीन थी। जिला अस्पताल के लिए पर्याप्त जमीन दी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने भूमि की जरूरत नहीं होने संबंधी जानकारी देने के साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश कर दिया है। इसी आधार पर कांग्रेस कार्यालय भवन के लिए जमीन आवंटित की गई है। यह फैसला कैबिनेट का भी है।

आबंटन शुल्क जमा करने 6 महीने समय की मांग

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बात सामने आई कि कुल 35 हजार 853 वर्गफुट भूमि के आबंटन के लिए कलेक्टर बिलासपुर ने दो साल पहले एक करोड़ 77 लाख 26 हजार 6 सौ 55 रूपए जमा करने का आदेश दिया था। इस राशि को तत्काल जमा करने कहा गया था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शासन की ओर से कहा गया कि यह आबंटन की शर्त के खिलाफ है। कांग्रेस की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट सुधीर शीवास्वत ने कहा कि पार्टी हमसे आबंटन शुल्क जमा करने को तैयार रही है। चूंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित था इसलिए ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्टर बिलासपुर के समक्ष एक आवेदन भी दिया गया है जिसमें शुल्क जमा करने के लिए 6 महीने के समय की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद याचिका निराकृत कर दी है और कलेक्टर बिलासपुर को दो सप्ताह में पूरे मामले में फैसला लेने कहा है।

मामला लंबित था, इसलिए शुल्क जमा नहीं की

चूंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित था इसलिए आबंटन शुल्क जमा नहीं किया गया था। कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्टर बिलासपुर के समक्ष एक आवेदन भी दिया गया है जिसमें शुल्क जमा करने के लिए 6 महीने के समय की मांग की गई है। इससे पहले भी राजनैतिक पार्टियों के लिए जमीन का आबंटन होता रहा है।

- विजय केशरवानी, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी

पेट्रोल व माचिस लेकर कलेक्टोरेट पहुंच गई 5 महिलाएं, हड़कंप

हरिभूमि न्यूज | बिलासपुर

ग्राम गतौरी और खाम्ही की पांच महिलाएं, जिनकी उम्र 45 से 80 वर्ष के बीच है, अपने पूर्वजों की जमीन छुड़ाने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचीं। इन महिलाओं के हाथों में पेट्रोल और माचिस भी था। महिलाएं आत्मदाह की चेतावनी दे रही थीं। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद महिलाएं शांत हुईं। महिलाओं का कहना था कि एक रसूखदार ने उनकी जमीन पर कब्जा करके पेट्रोल पंप बना लिया है। इसे छुड़ाने के लिए पिछले कई सालों से अधिकारियों के चक्कर काट रही लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाओं का आरोप है कि कब्जाधारी व्यक्ति उन्हें बार-बार धमकी देता है कि वे इस जमीन के लिए लड़ाई बंद कर दें, नहीं तो उनके साथ बहुत बुरा होगा।



कब्जाधारी से अधिकारियों की मिलीभगत महिलाओं ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर अनुविभागीय अधिकारियों के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया है। अनुविभागीय अधिकारियों ने तहसीलदार बिलासपुर को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार लेकिन लगातार हमसे रजिस्ट्री पेपर प्रस्तुत करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि असली दस्तावेज अनावेदक को प्रस्तुत करना चाहिए। इससे अधिकारियों की मिलीभगत भी लग रही है। पीड़ित महिलाओं ने यह भी कहा कि कब्जाधारी व्यक्ति उन्हें बार-बार धमकी देता है कि वे इस जमीन के लिए लड़ाई बंद कर दें, नहीं तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। इसके चलते महिलाएं ब्याय की गुहार लगाने के लिए कलेक्टोरेट पहुंचीं थीं।

एक्टिव हुआ प्रशासन, उचित कार्रवाई के निर्देश

महिलाएं पेट्रोल और माचिस लेकर आत्मदाह की धमकी दे रही थीं और कहा कि यदि उनकी जान चली गई तो उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाओं ने साफ कहा कि अगर उन्हें उनकी जमीन नहीं मिली तो वे आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगी। इस घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही प्रशासन को हुई अधिकारियों में हड़कंप मच गया और वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों ने पेट्रोल को अपने पास रख लिया महिलाओं के आक्रोश और आत्मदाह की धमकी को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

परिसीमन को लेकर दिनभर चली उठापटक

नगर निगम वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी, दावा-आपत्ति के लिए सात दिनों की मोहलत

हरिभूमि न्यूज | बिलासपुर

नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत वार्डों के परिसीमन को लेकर सोमवार को पूरे दिन कलेक्टोरेट से लेकर निगम कार्यालय तक उठापटक चलती रही और शाम को परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई। परिसीमन तहत नगर निगम क्षेत्र को 70 वार्डों में विभाजित किया गया है। इसके साथ ही परिसीमन पर दावा-आपत्ति के लिए सात दिनों की मोहलत दी गई है। नगर निगम क्षेत्र के 70 वार्डों के परिसीमन को लेकर पिछले कई दिनों से कवायद चल रही थी और नगर निगम में इसके लिए टीम गठित की गई थी। पहले परिसीमन की अधिसूचना 9

जुलाई को जारी होने वाली थी, किन्तु बाद तिथि बढ़ने के कारण अधिसूचना प्रकाशन के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई, इसलिए इसे लेकर आज सुबह से लेकर शाम तक कलेक्टोरेट कार्यालय से नगर निगम ऑफिस तक उठापटक चलती रही और प्रस्ताव पर कलेक्टर अरविश शरण के हस्ताक्षर के बाद शाम को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें निगम क्षेत्र को 70 वार्डों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वार्ड के सीमा निर्धारण किया गया है। नगर निगम कार्यालय, जोन एक सकरी, जोन दो तिफरा, जोन तीन टाउनहाल, जोन चार व्यापार विहार, जोन पांच सिटी कोतवाली के सामने, जोन 6 तोरवा, जोन 7

राजकिशोरनगर, जोन 8 सिटी बस डिपो कोनी कार्यालय में निरीक्षण के लिए रखा गया है। परिसीमन को लेकर दावा-आपत्ति के लिए सात दिवस की मोहलत दी गई है।

22 जुलाई तक दावा-आपत्ति

नगर निगम के 70 वार्डों के परिसीमन के संबंध में 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक दावा आपत्ति किया जा सकता है। इसके लिए निगम के सभी वार्डों जोन कार्यालयों में निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये कर्मचारी निर्धारित जगहों पर परिसीमन के संबंध में आम लोगों से आपत्ति, सुझाव प्राप्त करेंगे।

आम नहीं खास लोग करते हैं गलतियां



दहेज के लिए पत्नी से मारपीट, आईपीसी और बीएनएस दोनों की धाराओं में दर्ज हुआ जुर्म

हरिभूमि न्यूज | बिलासपुर

कोटा क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता को शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट की गई। पीड़िता ने घटना की शिकायत कोटा थाने में की है। इस पर पुलिस ने आईपीसी और बीएनएस की धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया है। पुलिस नए कानून के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।

कोटा थाना प्रभारी उमेश साहू ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली महिला को शादी चार महीने पहले ही हुई है। महिला ने बताया कि शादी के एक सप्ताह बाद ही उसे पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने

लगे। उस पर मारपीट कर मायके से रूपए लाने का दबाव बनाया जाने लगा। किसी तरह वह ससुराल में ही रह रही थी। इस दौरान उसके मायके वालों ने पति और ससुराल वालों को समझाने की भी कोशिश की। इसके बाद भी ससुराल वालों पर कोई असर नहीं हुआ। ससुराल वालों के बर्ताव में सुधार नहीं होने पर महिला ने कोटा थाने में शिकायत की है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 498 ए, 506 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) व 351(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस नए कानून के तहत पूरे मामले की जांच कर रही है।

जिले में पहला मामला

एक ही मामले में किसी आरोपी के खिलाफ नए और पुराने कानून की धाराओं के तहत जुर्म दर्ज करने का जिले का ये पहला मामला है। अब तक घटना के आधार पर नए अथवा पुराने मामले में जुर्म दर्ज किया गया है। इस मामले में नया कानून लागू होने के पहले ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। नया कानून लागू होने के बाद महिला से मारपीट की गई। इसके कारण नए और पुराने कानून की धाराओं में जुर्म दर्ज किया गया है।

प्रताड़ना और मारपीट के मामले में जुर्म दर्ज

महिला को शादी के बाद से दहेज के लिए प्रताड़ित और धमकी और गाली-गलौज की जाती थी। इसके साथ ही नया कानून लागू होने के बाद उससे मारपीट की गई। इसके कारण आरोपी के खिलाफ नए और पुराने कानून की धाराओं में जुर्म दर्ज किया गया है।

- नुरए उपाध्याय, एसीओपी कोटा

CHRISTIAN COLLEGE of ENGINEERING & TECHNOLOGY

KAILASH NAGAR-BHILAI

M.TECH

- NANO TECHNOLOGY
- CAD/CAM ROBOTICS
- HIGH VOLTAGE

B.TECH

- COMPUTER SCIENCE & ENGG.
- ELECTRICAL ENGG.
- ELECTRONICS & TELE. ENGG.
- MECHANICAL ENGG.

LATERAL ADMISSION FOR DIPLOMA HOLDERS

NEW COURSES

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE
- DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE ENGINEERING
- DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING
- DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING

Ph.D

- ELECTRONICS & TELECOMM.
- APPLIED MATHEMATICS
- APPLIED PHYSICS

MCA

- MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS

25+ YEARS OF EXCELLENCE

MGM GROUP OF INSTITUTIONS

60 YEARS

IN CAMPUS HOSTEL FOR BOYS & GIRLS

ST. THOMAS COLLEGE

RUABANDHA-BHILAI

B.Com.

- Computer Application

B.Sc.

- Biotechnology
- Botany
- Chemistry
- Computer Science
- Electronics
- Information Technology
- Industrial Chemistry
- Mathematics
- Microbiology
- Physics
- Zoology

M.Sc.

- Biotechnology
- Botany
- Chemistry
- Computer Science
- Electronics
- Information Technology
- Mathematics
- Microbiology
- Physics
- Zoology

B.A.

- English Literature
- Economics
- Journalism & Mass Communication
- Psychology
- Sociology

B.A.

- English Literature
- Economics
- Journalism & Mass Communication
- Psychology
- Sociology

Ph.D.

- Microbiology
- Chemistry
- Biotechnology

PG DIPLOMA

- PG.D.C.A
- Counselling and Guidance
- Journalism

M.Com.

Affiliated to Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg, C.G. & Kushabhau Thakare Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya, Raipur, C.G.

50% MINORITY SCHOLARSHIP

Eligibility Criteria

For C.G. Students :

- Class 12th - Physics, Chemistry & Mathematics (PCM) II) Appeared Engineering Entrance Exam (CGPET)

For Outside C.G. Students :

- Class 12th - Physics, Chemistry & Mathematics (PCM) II) Appeared Engineering Entrance Exam CGPET or JEE (All India)

Admission Helpline

Chhattisgarh :

- +91 99819 91429, +91 942 555 7762

North East, Nagaland :

- +91 87877 98831

Bihar, Jharkhand & West Bengal :

- +91 99346 90200

Fr. Dr. P. S. Varghese :

- +91 9826141686

Doha, Qatar:

- Mr. Lenin: +974 6688 3196

B.Ed. 50% DIRECT ADMISSION (CHRISTIAN QUOTA)

Pre-B.Ed. Entrance test compulsory for all

48 UNIVERSITY RANK HOLDERS 2022-23

40 YEARS OF EXCELLENCE

EXCELLENCE IN ACADEMICS & SPORTS

IN CAMPUS HOSTEL FOR GIRLS

0788-2275970

9406256388

हरिभूमि लाइव

बिलासपुर, मंगलवार 16 जुलाई 2024

Email id- haribhoomibsp@gmail.com

Whats App - 6263190692, 8305922255



पहल

स्कूल की फीस के साथ प्रशिक्षण का खर्च उठाएगा पायल फाउंडेशन



बिलासपुर। राष्ट्रीय पाठशाला छठवीं कक्षा के छात्रों ने पैसे नहीं होने पर फीस जमा नहीं कर पा रहे थे, जिससे हताश होकर स्कूल छोड़ने का निर्णय ले लिया था। ऐसी परिस्थितियों में पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष पायल शब्द लाठ एवं सचिव चंचल सलुजा ने तीनों छात्र-छात्राओं का होसला बढ़ाया और साल भर की फीस जमा कर पढ़ाई का बीड़ा उठाया है। पायल शब्द लाठ ने बताया कि छात्र-छात्राएं गरीब परिवार से हैं, उनके माता-पिता रिक्शा एवं घर में काम करके परिवार की आजीविका चलाते हैं। संस्था को जानकारी मिली थी कि सालाना फीस जमा न हो पाने से राष्ट्रीय पाठशाला स्कूल की तीन छात्र छात्रा पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में हैं, स्कूल प्रिंसिपल मानिक भट्टाचार्य ने संस्था के चंचल सलुजा से सम्पर्क किया तब पता चला कि तीनों छात्र की सालाना फीस नहीं जमा हुई है। उनका परिवार फीस पटाने में असमर्थ है, जिस कारण बच्चे तीनों पढ़ाई वंचित हो रहे थे, तब पायल एक नया सवेरा फाउंडेशन ने तीनों छात्र-छात्राओं की फीस को जमा कर उन्हें आगे पढ़ने का होसला दिया। पायल लाठ ने कहा कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न हो, समाजसेवी संस्थाओं को पहल करनी चाहिए। फाउंडेशन ने 25 बच्चियों को गोद लिया है जिनको अपनी सेल्फ डिफेंस सुरक्षा के लिए कराते प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही स्पोकन इंग्लिश कोचिंग दी जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय पाठशाला स्कूल के प्रिंसिपल मानिक भट्टाचार्य, स्कूल टीचर मनीषा तिवारी, राधिका केसरवानी, नीलिमा सोनी, द्वारकापुरी गोस्वामी चपरासी, पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट पायल शब्द लाठ, सचिव चंचल सलुजा उपस्थित थे।

आयोजन

कल्याण कुंज वृद्धाश्रम में कपड़े भोजन पैकेट का वितरण



बिलासपुर। महिला एवं युवा यादव समाज बिलासपुर ने कल्याण कुंज वृद्ध आश्रम बिलासपुर जाकर कपड़े व भोजन पैकेट का वितरण किया। महिला एवं युवा यादव समाज बिलासपुर के महासचिव टीकाराम यादव ने अपने जन्मदिन पर महिला व युवा यादव समाज के पदाधिकारी सदस्यों के साथ वृद्ध आश्रम जाकर अपना जन्मदिन मनाया और कहा कि यदि मन में सेवा का भाव हो तो सेवा कार्य रोके नहीं रुकता है। उन्होंने वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को कपड़े, भोजन व फल के पैकेट वितरित किया। वहीं संगठन के संरक्षक भरत यादव, तेरस यादव, अमित यादव, गौरीशंकर यादव, कोषाध्यक्ष नंदकिशोर यादव, रंजित यादव, दीपा यादव, अंकिता यादव, सरिता यादव ने कपड़े व खाने की सामग्री वितरित कर वृद्धजनों की सेवा की एवं उनसे आशीर्वाद लिया।

सत्संग

क्रोध छोड़ने के लिए जीवन में आध्यात्म का समावेश आवश्यक : बीके मंजू



बिलासपुर। क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लगता और ना ही क्रोध करने से किसी को खुशी मिलती है। फिर भी हम क्रोध करते हैं। क्रोध और अन्य विकार हमारे जीवन में भूतों की तरह है। इन्हें छोड़ने के लिए दैनिक जीवन में आध्यात्म का समावेश आवश्यक है। उक्त बातें सरस्वती शिशु मंदिर की पूर्व प्राचार्या स्मृति भूरगी के निवास स्थान में आयोजित सत्संग में टिकरापारा संवा केंद्र प्रभारी ब्रह्माकुमारी मंजू दीदी ने कही। उन्होंने बताया कि आध्यात्म के बारे में लोगों के मन में भ्रांतियां यह है कि समाज, कार्य, घर-द्वार, मोह माया को छोड़कर ही आध्यात्म को अपनाया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए आध्यात्म को अपना सकते हैं। आध्यात्म हमारे जीवन से सिवाय बुढ़ाई के और कुछ नहीं छुड़ता। कोई भी बात पहले से दसवें व्यक्ति को पहुंचने तक निश्चित ही बदल जाती है, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। भ्रांति छोड़कर प्रतिदिन ज्ञान का श्रवण करते रहें, सत्यता स्वयं सिद्ध हो जाएगी।

आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी प्रेम : आत्मा परमात्मा की बातों से पहले आध्यात्मिकता हमें प्रेम सिखाती है क्योंकि भगवान को भी प्यार का सागर कहा जाता है। घर परिवार में हम अणुओं से यदि एक कड़वा शब्द बोल देते हैं तो साल भर में 365 शब्दों का हिस्सा बन जाएंगे। आपसी संबंधों में यदि हम शब्दों को पकड़ लेते हैं तो यह स्वामिका है कि मन भारी होगा और तनाव से अस्वस्थ की ओर चले जाएंगे।

साईं ने की छेरापहरा की रस्म, रस्सा खींचने रही भारी भीड़

मौसी मां मंदिर से निकली महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा

रेल्वे परिक्षेत्र स्थित श्री मौसी मां मंदिर से सोमवार को महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भी रस्सा खींचने श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ रही। छेरापहरा की रस्म श्री साईं ने की। रास्ते भर बहुड़ा यात्रा का स्वागत किया जाता रहा।



हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

श्री जगन्नाथ पूजा सेवा समिति के सचिव ने बताया कि गुण्डिचा यात्रा के बाद से महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ पूरे 8 दिन तक मौसी मां मंदिर में रहे। यहां उनके सम्मान में सत्संग, भजन, ओडिशी व संबलपुरी डांस की प्रस्तुति दी जाती रही। मौसी मां मंदिर में भगवान जगन्नाथ एकदम आनंदित रहे। हर दिन

विशेष पूजा-अर्चना के साथ श्रद्धालु भक्त अपने घरों से भोग बनाकर भगवान को अर्पित करते रहे। 9 वें दिन सोमवार को महाप्रभु जगन्नाथ की उत्साह के साथ बहुड़ा यात्रा निकाली गई। यात्रा निकालने से पहले सुबह भगवान की विधि-विधान से पूजा कर मंगल आरती की गई। फिर दोपहर में लकड़ी से तैयार सुदर्शन चक्र, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा व भगवान जगन्नाथ के विग्रह को रथ पर एक-एक

कर श्रद्धालु भक्तों द्वारा बिठाया गया। रथ में पूजा के बाद छेरापहरा की रस्म श्री साईं ने की। अतिथि के बाद श्रद्धालु भक्तों रस्सा खींचा। फिर रथ मौसी मां मंदिर से निकलकर तोरवा, जगमल चौक, गांधी चौक, पुराना हाईकोर्ट, तारबाहर नाका, तितली चौक होते हुए पुनः श्री मंदिर पहुंचा। रास्ते में महाप्रभु के सम्मान में प्रसाद का वितरण किया जाता रहा। जय जगन्नाथ के जयकारे लगते रहे।

नाराज माता लक्ष्मी ने भगवान को रोका दरवाजे पर

बहुड़ा यात्रा के बाद महाप्रभु के श्री मंदिर पहुंचने पर नाराज माता लक्ष्मी उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दे रही थीं। काफी मान मनौव्वल के बाद भी मां लक्ष्मी मानने तैयार नहीं थीं। फिर उन्हें रसगुल्ला खिलाने पर भगवान को अंदर आने दी। समिति के सदस्यों द्वारा इस बात को मंदिर के दरवाजे

में दर्शाया भी गया, जो कि काफी आनंददायक रहा। इसके बाद सुदर्शन चक्र, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व बहन सुभद्रा के विग्रह को श्री मंदिर में बिठाया गया। अब मंदिर के पुजारी पं. गोविंद पाणी के सानिध्य में हर दिन नियमित रूप से पूजा पाठ किया जाता रहेगा।

छंदशाला की गोष्ठी में कवियों कवियत्रियों ने किया काव्य पाठ

छंदशाला के तत्वावधान में रेशम अनुसंधान केन्द्र रमतला में पावस गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार बुधराम यादव, विजय तिवारी, विनय पाठक थे। अध्यक्षता ओमप्रकाश नट्ट ने की।



रेशम अनुसंधान केन्द्र रमतला में किया गया आयोजन

हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

गोष्ठी पूर्णतः पावस पर आधारित रही। इसमें पावस के विभिन्न पक्षों की ओर सभी कवियों और कवियत्रियों ने ध्यान आकृष्ट कराया एवं काव्य पाठ किया। कवि विजय तिवारी ने बरस मेघ भू ताप घटे, मन के कुछ तो पाप घटे..., विनय पाठक ने ओ बरसा के पहले बादर..., सुभमा पाठक ने रंग बिरंगी हुई धरा, इटलाती हर डाली है..., शैलेन्द्र गुप्ता ने करिया बादर कहा लुकागे, काला देख लजावत है..., अमृत पाठक ने विरह में ब्रजधाम सावन आ गया..., ओमप्रकाश भट्ट ने क्षणिका एवं मनीषा भट्ट ने झूल रही है सखियां मिलकर सावन है..., मनमीत, हृषिसिंह क्षत्रिय ने तेरे बिन लगता है जैसे पावस भी मुझसे रुठी है..., बुधराम यादव ने कैसे गीत लिखू निष्ठुर पावस के आने का..., पूर्णिमा तिवारी ने रीत

बावरी कैसी है..., डॉ सुनीता मिश्रा ने गीत-अंतस के कोने से मैने, भाव चुराकर लाए फिर पावस बरसाए..., उषा तिवारी ने खिंची कर्म की रेखा छोड़ भरोसा भाग का..., कामना पांडेय ने मोहना मन मोह लेता, रूप यह अभिराम..., मयंक दुबे ने सजल, प्रवेश भट्ट और विपुल तिवारी ने गजल और एमडी मानिकपुरी ने छत्तीसगढ़ी गीत से समां बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन कवियत्री डॉ. सुनीता मिश्रा और आभार प्रदर्शन कवि विनय पाठक ने किया।

ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में इंजीनियर दामोदर मिश्रा, विजय पाठक, नरेंद्र बरठ, विजेता कोरी, छंदशाला परिवार के सदस्य, रेशम अनुसंधान केन्द्र रमतला के कर्मचारी, स्व-सहायता समूह की महिलाएं एवं प्रबुद्ध श्रोता उपस्थित थे।

बगलामुखी देवी की कमला देवी के रूप में की गई पूजा

सरकण्डा स्थित श्री पीताम्बरा पीठ त्रिदेव मंदिर में आषाढ़ गुप्त नवरात्र उत्सव का सोमवार को समापन हुआ। इस अवसर पर कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराया गया।



गुप्त नवरात्रि के समापन पर कराया गया कन्या भोज

हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

पीठाधीश्वर आचार्य डॉ. दिनेश महाजन ने बताया कि त्रिदेव मंदिर में नवरात्र के दसवें दिन सुबह श्री ब्रह्मशक्ति बगलामुखी देवी का विशेष पूजन श्रृंगार कमला देवी के रूप में किया गया। श्री शारदेश्वर पारदेश्वर महादेव का महासुद्राभिषेक, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी का षोडश मंत्र द्वारा दूधधारिया पूर्वक अभिषेक कर भगवान श्री राम का पूजन एवं श्रृंगार किया गया।



ये रहे मौजूद : कन्या पूजन के दौरान महासुद्राभिषेक सर्वेश्वरदास अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री नंददास गंगोत्रिया रायपुर, किशोर राय व अर्जुनदास बजाज सपत्नीक, सुपर्णा सिंह, हर्षवर्धन अक्वाल सहपरिवार, धीरेन्द्र पाण्डेय, पं. मधुसूदन, पं. संजय, पं. दुर्गेश, पं. नीतिश, अंकिता, अपराजिता, लक्ष्मी देवी पाण्डेय, गीता दुबे, अंजली शुकला, पम्मी अवस्थी, केसरी नंदन पाण्डेय, गौरी, अमिता-दीपेश पाण्डेय उपस्थित थे।

प्रतिदिन रात्रि में पीताम्बरा हवनात्मक महायज्ञ में श्री ब्रह्मशक्ति बगलामुखी मंत्र द्वारा 21 हजार आहुतियां देकर महाआरती की जा रही है, जो कि चातुर्मास पर्यंत निरंतर चलेगा।

67 वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता, खिलाड़ियों को 21-21 हजार रुपए पुरस्कार

शहर के 6 खिलाड़ियों को मिला गोल्ड मैडल

67 वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023-24 झारखंड के रांची शहर में आयोजित हुई थी। इसमें खेलविधा कबड्डी बालक अंडर 14 वर्ग में छत्तीसगढ़ टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, इसमें नवीन पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर, बिलासपुर के 6 खिलाड़ी कप्तान नवीन साहू, तुषार देवांगन, शिवा खैरवार, भूषण पटेल, भव्य पटेल, गुवण मास्कर ने भाग लिया था।

नौकरी व पढ़ाई में बोनस अंक

जो भी छात्र खेल में राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में शामिल होकर मैडल प्राप्त करते हैं, उन्हें पढ़ाई में तो बोनस अंक मिलता ही है। इसके अलावा शासकीय नौकरी में भी प्राथमिकता दी जाती है, इसमें भी अतिरिक्त नंबर मिलते हैं।

खेल में रुचि लेने वालों का होता है चयन

क्रीड़ा अधिकारी सुशील मिश्रा ने बताया कि बच्चों का चयन खेलों में रुचि लेने वाले जिले के निजी या शासकीय स्कूलों के छात्रों का होता है, बैटरी टेस्ट के माध्यम से मेरिट सूची में आने वाले बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाता है। खेल परिसर में खिलाड़ियों से नियमित अभ्यास कराया जाता है।



हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

ये सभी खिलाड़ी बिलासपुर के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं और आदिवासी विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल में रहकर पढ़ाई के

साथ खेल में भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन द्वारा इन सभी खिलाड़ियों को 21-21 हजार का चेक दिया गया। पुरस्कार की राशि कलेक्टर अश्वनीश कुमार शरण ने शुभकामनाओं सहित प्रदान की। इस अवसर पर आदिवासी विकास विभाग के

सहायक आयुक्त सी एल जायसवाल, क्रीड़ा अधिकारी सुशील मिश्रा, कबड्डी प्रशिक्षक हेमंत यादव उपस्थित थे। उक्त जानकारी अधीक्षक मनीष सिंह ने दी है।

खबर संक्षेप
हसदेव में बहे युवक की दूसरे दिन मिली लाश



बिलासपुर। पिकनिक मनाने गया शहर का युवक हसदेव नदी में बह गया था। दूसरे दिन एसडीआरएफ की टीम ने नदी में रेस्क्यू कर शव बरामद कर लिया है। 14 जुलाई को लिंगयाडीह रामनगर निवासी शिवम यादव पिता आशुप्रताप यादव अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जांगीर जिले के देवरी चिचोली गया था। सभी पिकनिक स्पॉट पर हसदेव नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान शिवम यादव नहाते हुए गहराई जाकर पानी के तेज बहाव में आकर बह गया। शोर मचाने पर उसके दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सूचना पर बिलासपुर की एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर हसदेव नदी में उसके पतासाजी कर रही थी। अंधेरा होने पर टीम नदी से बाहर निकल गई थी। 15 जुलाई को सुबह एसडीआरएफ की टीम नदी में रेस्क्यू करते हुए युवक की तलाश में लगी हुई थी। काफी मशकत के बाद दोपहर 1 बजे घटनास्थल से 500 मीटर दूर पत्थर में फंसा हुआ शव मिला। एसडीआरएफ की टीम शव नदी से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया है। बताया जाता है शाम होने के कारण उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है।

7 साल के बच्चे की तालाब में डूबकर मौत

बिलासपुर। मछली पकड़ने गए 7 साल के बच्चे की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। पुलिस मामले को जांच कर रही है।



बताया, सोमवार को दोपहर 2.30 बजे रूचिका विहार निवासी सुबोध शुक्ला अपने 7 साल का बेटा पीयूष शुक्ला को लेकर शारदा मंदिर के पास तालाब गए थे। उनका बेटा तालाब में मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान श्री शुक्ला तालाब से कहीं चले गए। इसी दौरान उनका बेटा पीयूष मछली पकड़ने के फेर में गहराई में जाकर डूब गया। उसके चीखने चिल्लाने पर आसपास में खड़े लोगों ने तालाब में छलंग लगाकर खोजकर उसे बाहर निकला। उसके बाद इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। जांच के बाद डाक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सूचना पर पुलिस ने नग्न कायम कर लिया है।

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन 31 तक

बिलासपुर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बाल पुरस्कार से ऐसे बच्चों को पुरस्कृत किया जाना है जिन्होंने निस्वार्थ भावना से समाज के प्रति कार्य किए हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने खेल, सामाजिक, सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में समाज पर व्यापक प्रभाव डाला है उन्हें ही इस पुरस्कार के लिए पात्र माना जाता है। बाल पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

जनसमस्या निवारण शिविर की तिथि बदली

बिलासपुर। जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर माह जून से दिसम्बर तक आयोजित किया जाना है। पूर्व में जारी तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। अनुविभाग बिल्हा के अंतर्गत 23 जुलाई मंगलवार को कया एवं 21 नवंबर बुधवार को दोगरी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बिल्हा अनुविभाग के अतिरिक्त शेष अन्य अनुविभाग एवं विकासखण्ड में पूर्व में जारी तिथियों में जन निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा।

292 इग्नाइट स्कूल: यहां न शिक्षकों की भर्ती हुई, न अब तक मिली किताबें

हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में 6 साल पहले खोले गए इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम स्कूल उपेक्षा के शिकार हैं। यहां संसाधनों की कमी के कारण 10 हजार से अधिक बच्चों का भविष्य अधर में है। आलम यह है कि शिक्षण सत्र शुरू हुए 20 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक यहां किताबें नहीं पहुंची हैं। इसके अलावा शिक्षकों की भी भारी कमी है। वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के कार्यकाल में ग्रामीण बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बिलासपुर में 7 सहित पूरे प्रदेश में 292 इग्नाइट प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल खोले गए थे। इनके सफल संचालन के लिए विकास खंड शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया, ताकि योजना का क्रियान्वयन सक्षम अधिकारी के हाथ में हो। वर्ष 2018 तक इन स्कूलों को पर्याप्त राशि और पुस्तकें, लैपटॉप, प्रिंटर जैसे आवश्यक उपकरण मिले और शाला संचालन प्रभावशाली ढंग से हुआ लेकिन 2019 में सरकार बदलते ही योजना उप हो गई। इन स्कूलों की हालत आज तक नहीं सुधर पाई। बिलासपुर के 7 स्कूलों में पढ़ने वाले 1217 स्टूडेंट और प्रदेश के 292 स्कूलों में पढ़ने वाले 10 हजार से अधिक बच्चों को किताबें तक नहीं मिल पाई हैं, इसलिए अब तक इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हुई है।

आत्मानंद के कारण उपेक्षा के शिकार

2019 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने पूरे प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया, इसके बाद से इग्नाइट सीबीएसई पैटर्न स्कूल उपेक्षा के शिकार हैं। विडम्बना यह है कि बच्चे 8 वीं तक इस स्कूल में सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए इग्नाइट स्कूल नहीं होने के कारण वे या तो हिंदी मीडियम में प्रवेश लेते हैं या फिर स्वामी आत्मानंद में प्रवेश लेकर सीजी बोर्ड की पढ़ाई करते हैं।

एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती है

ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर से ही राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कक्षा 1 से ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। इसके पीछे सरकार की मंशा प्रदेश के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान कर उन्हें देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, एनसीईआरटी की किताबें मानक किताबें हैं, इसलिये शासन ने इन किताबों को ही इग्नाइट स्कूलों में पढ़ाने के लिए चुना है।

दे से तीन शिक्षकों की नियुक्ति

इग्नाइट स्कूल खुलने के बाद वहां पढ़ाने के लिए शाला का सेंटअप तैयार कर शिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। प्राथमिक और मिडिल स्कूल में 2 से तीन अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की नियुक्ति ही हो पाई है, जबकि प्राथमिक और मिडिल स्कूल मिलाकर 8 वीं तक कक्षाएं लगती हैं। अब भाजपा की सरकार फिर से आई है तो इस विद्यालय और उसमें पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को एक आशा की किरण नजर आ रही है।

किताबों के लिए भेजा गया है मांग पत्र

सीबीएससी पैटर्न में संचालित सरकारी स्कूलों के लिए एनसीआरटी की किताबें खरीदी जाती हैं। यह खरीदी रायपुर से होती है। ऐसे में सभी स्कूलों से जल्द ही के अनुरूप जानकारी मंगाकर मांग पत्र शासन को भेजा जाना है। खरीदी के बाद पुस्तकें मिलते ही वितरण किया जाएगा। - टी.आर साहू, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर।

खनिज माफिया ने इतना खोद डाला मुरुम कि खदान में सिर्फ बिजली का खंभा ही बचा



बिलासपुर। रेत और मुरुम माफियाओं ने इतनी खोदकर कर डाली कि पूरा मैदान तालाब बन गया है। मामला गनियारी क्षेत्र के घोडाडीह का है। हद से ज्यादा खुदाई के कारण अब मौके पर सिर्फ एक बिजली का खंभा ही बच गया है। यह भी कमी भी गिर सकता है लेकिन खनिज अधिकारियों को शायद इसकी जानकारी नहीं है। मौके पर परिवहन की आड़ में मुरुम की खुदाई कर उसे बेचा भी जा रहा है। खनिज विभाग यह कहकर परिवहन की अनुमति दे

रहा है कि कि संबंधित जगहों पर मुरुम पहले से ही खोदकर रखी हुई है। खनिज माफियाओं का यह खेल पिछले दो साल से चल रहा है। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि खनिज ठेकेदारों को बाक्यदा परिवहन के लिए रायल्टी पर्वी जारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आसपास के कई गांवों में इस तरह की खुदाई जारी है। हर जगह से रोजाना कई ट्रक मुरुम निकालकर परिवहन किया जा रहा है। पड़ताल में यह भी

पता चला कि ठेकेदार खनिज विभाग को खबताते हुए कि मुरुम के परिवहन की अनुमति मांगते हैं कि अमुक स्थान पर पहले से 10 हजार या 12 हजार घन मीटर मुरुम पहले से खोदकर रखी है, उसका परिवहन करना है। खनिज विभाग मान लेता है कि मुरुम पहले से ही रखी है और वह उसकी रायल्टी पर्वी जारी कर देता है। खनिज अधिकारी के मुताबिक इस बारे में कोई शिकायत तो नहीं मिली है। फिर भी मौके पर जाकर निरीक्षण कर लिया जाएगा।

10 से 12 फीट गहरा खोद

आयुष्मान कार्ड से अधिक का भुगतान, 4 को नोटिस

बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड से इलाज के बाद मरीजों से की गई अधिक रकम की वसूली की शिकायत पर कार्रवाई की है। विभाग ने जिले के 4 अस्पतालों को नोटिस थमाया है और ओम्कार हास्पिटल पर 1 लाख 82 हजार रूपए का जुर्माना ठोक दिया है। एक हास्पिटल पर जुर्माना भी लगाया गया है। जिले में लंबे समय से आयुष्मान योजना के तहत फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस दौरान मरीजों का जबरिया आपरेशन करने, इलाज से अधिक की रकम लेने, फर्जी बिल थमाने के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास इस साल के दो दर्जन से अधिक शिकायतें की गई हैं, वहीं राज्य स्तरीय कमेटी लगातार मामले की जांच कर रही है। आयुष्मान कार्ड के अलावा मरीजों से रूपए की जमकर वसूली की जा रही है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद विभाग ने जिले के 4 अस्पताल को नोटिस दिया गया है, वहीं ओम्कार हास्पिटल पर 1 लाख 82 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

पहले से पैकेज है निर्धारित
मरीजों का निःशुल्क इलाज करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इसके तहत लगभग सभी बीमारियों का मरीज निःशुल्क सरकारी अस्पताल और पंजीकृत निजी हास्पिटल में इलाज करा सकते हैं। सरकार पैकेज के अनुसार इन अस्पतालों को मुग्तान करती है, लेकिन जिले के कई अस्पताल आयुष्मान कार्ड के अलावा मरीजों को अतिरिक्त रकम की वसूली कर रहे हैं। मरीजों की तरफ से इसे लेकर लगातार शिकायत की जा रही है।
राज्य स्तर पर हो रही मानिटरिंग
राज्य स्तर के अधिकारी लगातार मानिटरिंग कर रहे हैं, उन्हीं अधिकारियों ने जुर्माना लगाया है और नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में जवाब में अस्पताल होने पर जुर्माना के साथ पंजीकृत होना तय है।
- डॉ. अनिल श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग

पंजीयन हुआ ऑनलाइन

पुराने बस स्टैंड में पाइप लाइन फूटी, बहता रहा पानी



बिलासपुर। पुराना बस स्टैंड में पानी सप्लाई की मेन पाइप लाइन फूट गई, जिससे काफी देर तक बंकार में सड़क पर पानी बहता रहा। पुराना बस स्टैंड के पास नाला का काम चल रहा है, जिसके चलते पाइप लाइन फूटने की बात कही जा रही है। पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी सप्लाई प्रभावित हुई। शहर में पानी सप्लाई पाइप लाइन फूटने की बात आम हो गई है। आज पुराना बस स्टैंड के पास मेन पाइप लाइन फूट गई, जिससे काफी देर तक सड़क पर पानी बंकार बहता रहा और गट्टे में पानी भर गया। पाइप

नहीं रहा 292 अपराधियों को पकड़वाने वाला सिम्बा, शिवतराई में अंतिम संस्कार

हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

वन अपराधों में वन अधिकारियों की सहायता करने वाले डग सिम्बा की मौत हो गई है। सोमवार को एटीआर के इंटरप्रिटेशन सेंटर शिवतराई में अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि वह बेलिजियम मेलेनाइस प्रजाति का कुत्ता था और उनका जन्म 2015 में हुआ था।



सिम्बा का अंतिम संस्कार करते एटीआर के कर्मचारी।

नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ डॉग टेकनियर ग्वालियर से प्रशिक्षित फारेस्ट डॉग की मौत हो गई है। अचानकमार टाइगर रिजर्व में मौजूद थान सिम्बा काफी उग्रदराज हो चुका था, जिसने 15 जुलाई की सुबह 6.40 को अंतिम सांस ली। अचानकमार टाइगर रिजर्व में 2017 से अपराधियों को पकड़ने में सिम्बा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिम्बा के द्वारा एटीआर अन्तर्गत वन्यजीवियों के शिकार एवं अन्य अपराधिक प्रकरणों में अन्वेषण से संबंधित 62 प्रकरण में 292 अपराधियों को एवं पुलिस विभाग के 10 चोरी, अंधे कल्ले, एवं अपहरण जैसे 13 प्रकरण में अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशेष महत्वपूर्ण सहयोग किया था। उम्र बढ़ने के कारण सिम्बा को अप्रैल 2023 में रिटायरमेंट किया गया। एटीआर के फील्ड डायरेक्टर मनोज पाण्डेय एवं उप संचालक युआर गणेश के द्वारा रिटायरमेंट के बाद अंतिम सांस तक देखभाल की गई है। सिम्बा की विशेष देखभाल

रेलवे प्रबंधन जगह-जगह लगा रहा बोर्ड, एनाउंस कर लोगों को टी जा रही चेतावनी

कल से रेलवे क्षेत्र के नो-पार्किंग जोन पर गाड़ी रखते ही लगेगा लॉक

हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

200 से 500 तक जुर्माना



सौनिधर डीवीएच अनुराग कुमार ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 17 जुलाई 2024 से नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी दो-तीन पहिया गाड़ियों को उठाकर एक निर्धारित स्थान गेट नंबर 4 के आगे टीआरडी ऑफिस के पास दो व्हेल जेब ले जाया जाएगा। इन गाड़ियों को 200 रुपए शुल्क का भुगतान करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। नो पार्किंग में खड़ी चार पहिया वाहनों को वहीं पर वलंपिंग की जाएगी और 500 रुपए शुल्क का भुगतान करने पर ही छोड़ा जाएगा। 6 घंटे के भीतर नहीं उठुवने पर 20 से 50 रुपए प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क की वसूली होगी।

मिल रही थी शिकायतें

रेलवे परिक्षेत्र की सड़कों पर गाड़ियों पार्क करने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। इसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके अलावा वाहनों के चोरी होने के मामले में भी सामने आ रहे थे।

हरिभूमि 1 आवश्यक सूचना

प्रिय ग्राहक बंधुओं आपका अपना प्रिय अखबार **हरिभूमि** के स्थान पर अगर कोई अन्य अखबार दिया जा रहा है तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें

07752-401052, 8770748558
9754160620, 9691735152



खबर संक्षेप

एफएलएन अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण शुरू

लोरमी। एससीईआरटी द्वारा एफएलएन प्रशिक्षण पहली से पांचवीं तक अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाना है। जिसके तहत 5 दिवसीय अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण का द्वितीय चक्र 15 जुलाई से शुरू किया गया है जो 20 जुलाई तक होगा। प्रशिक्षण में विकास खंड शिक्षा अधिकारी डीएन राजपूत, बीआरसीसी डीसी डाहिरे सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुनील शर्मा द्वारा संबोधित किया। साथ ही अंग्रेजी भाषा को सरल ढंग से सिखाए जाने का गुर बताया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर हीरा लाल राठौर, शोभाराम यादव द्वारा शिक्षकों को अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन कराए। इस अवसर पर संकुल केंद्र डोंगरिया डोलगी, भालुखोड़ा, खुड़िया, सरई पतेरा सहित कई संकुलों के शिक्षक शिक्षिकाएँ उपस्थित थे।

20 स्कूलों में शैक्षणिक सामग्रियों का वितरण



पेंड्रा। शरबती देवी बनारसी दास फरमानिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्षेत्र के 20 स्कूलों में शैक्षणिक सामग्रियों का वितरण किया। यह शैक्षणिक सामग्री शासकीय प्राथमिक शाला बंजारीपारा, प्राथमिक शाला तिलोरा, खाट पारा, उन्नत पूर्व माध्यमिक शाला तिलोरा, प्राथमिक शाला दरौपारा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला देवरी कला और देवरी खुर्द, शासकीय प्राथमिक शाला देवरी खुर्द करौदानारा, पूर्व माध्यमिक शाला और हाई स्कूल अमारा, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला अमारा, शासकीय प्राथमिक शाला दोबे पारा, बहरीझोरकी, खरडी, डेलुआ, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डेलुआ, जिल्दा, शासकीय कन्या और प्राथमिक शाला मुखुर सहित 20 स्कूलों में किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट की ओर से समाजसेवी सत्य प्रकाश फरमानिया मौजूद रहे। जिनकी ओर से स्कूली बच्चों को उक्त सामग्री प्रदान की गई।

सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया



लोरमी। विकासखण्ड के ग्राम नवागांव (जैत) में संचालित आंबा केन्द्र में घुसे सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। गौरलतब है कि 11 जुलाई को आंबा भवन में सांप को देखकर कार्यकर्ता ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित कोल सेंटर के हेलपलाइन नम्बर पर सम्पर्क किया। जिसके पश्चात वन क्षेत्रपाल ने 1 घंटे के भीतर वहां पहुंचकर सांप का रेस्क्यू कर लिया। इसी तरह नगर पालिका के बाई क्रमांक 9 तथा 12 में भी सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया।

कृषि उपज मंडी प्रांगण में मतदाता अभिनंदन समारोह मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का अभिनंदन अरुण, तोखन, पुन्जूलाल हुए शामिल

हरिभूमि न्यूज ►► मुंगेली

उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, विधायक पुन्जूलाल मोहले सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति निष्ठा व ईमानदारी के बंदौलत ही मतदाताओं का भरोसा भाजपा पर होता है। भाजपा ने मुंगेली में पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, विधायक और लोकसभा में जीत का परचम लहराया है। ऐसे मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के अभिनंदन से हम सभी गौरवान्वित हुए हैं। तोखन साहू ने कहा कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने



सभा को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री अरुण साव।

पर क्षेत्र के मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जाना इनका अधिकार है। विधायक पुन्जूलाल मोहले ने कहा कि क्षेत्र के सभी मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का भाजपा को विजय दिलाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इन्हीं कार्यकर्ताओं ने मुझे 11 बार जितताया है, 4 बार सांसद और

अतिरिक्त मंच से उतरकर उपस्थित मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का पुष्पहार, गुलदस्ता आदि से अभिनंदन किया। जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक ने स्वागत भाषण करते हुए 4 मंडलों से उपस्थित हुए मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का भाजपा के जनप्रतिनिधियों को ऋणी बताया। इस अवसर पर पूर्व सांसद लखनलाल साहू, जिला भाजपा कोषाध्यक्ष प्रेम आर्य, विधानसभा प्रभारी सीताराम साहू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सुनील पाठक, आभार द्वारिका जायसवाल ने किया। इस अवसर पर गिरीश शुक्ला, लोक राम मरावी, डॉ. सुरेश केशरवानी, जनेकान्त सिंह, सरस्वती सोनी, दुर्गा उमाशंकर साहू, रजनी मानिकलाल सोनवानी, तुलसी साहू, श्रीकान्त पाण्डेय, संजय वर्मा, पवन पाण्डेय, मोहन मल्लाह, दीनानाथ केशरवानी, आशुतोष पाण्डेय, कोटूल ददवानी आदि उपस्थित थे।

हरियर मुंगेली-सुधर मुंगेली अभियान का आठवां वर्ष, किया पौधरोपण

हरिभूमि न्यूज ►► मुंगेली

स्टार्स ऑफ टुमॉरो वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित हरियर मुंगेली-सुधर मुंगेली अभियान के आठवें वर्ष की शुरुआत आगर प्राण वायु परिवार में पौधा लगाकर किया गया।



पौधरोपण करते युवा।

स्टार्स ऑफ टुमॉरो वेलफेयर सोसायटी की टीम ने जिनके सात वर्षों के अथक प्रयास ने मुंगेली जिले को फिर से हरा भरा कर दिया है। दिन ब दिन बढ़ते तापमान और घटते जलस्तर को देखते हुए इस संस्था ने 2017 से पौधरोपण अभियान हरियर मुंगेली-सुधर मुंगेली की शुरुआत की थी। कुछ दिन पूर्व निधन हुए टीम के सदस्य रामकिशोर सिंह ने कहा कि श्रद्धांजलि स्वरूप 50 नौम के पौधों के रोपण के साथ प्रारंभ हुआ। संस्था संयोजक रामपाल सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में सोलह पेड़ों से निकले आक्सीजन

का उपयोग करता है। संस्था अध्यक्ष महावीर सिंह ने बताया कि इन छह वर्षों में टीम द्वारा 15 सौ से अधिक पौधे ट्री गार्ड के साथ और 3 हजार से अधिक पौधे फेंसिंग युक्त स्थान पर रोपित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर संयोजक रामपाल सिंह, सहसंयोजक रामशरण यादव, अध्यक्ष महावीर सिंह, सचिव विनोद यादव, सतपाल मकड़, गौरव जैन, दीपक जैन, देवेन्द्र परिहार, श्रेणिक पाखर, गिरीश सुधार, अनुराग सिंह, सूरज मंगलानी, मुकेश पांडेय, हरिओम सिंह, पप्पू शर्मा, सुनील वाधवानी, संदीप सिंह, पवन यादव, रवि साहू, अजय चंद्रकार, आर्या सिंह, देवेन्द्र सिंह, परमेश्वर देवांगन, श्रीओम सिंह, वासु पांडेय, अमित साहू, अरविंद रूपवानी सहित संस्था के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

दो मकानों में चोरों का धावा, लाखों का माल पार

कोरबा। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरों ने दो मकानों में धावा बोलकर लाखों का माल पार कर दिया है। दोनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अग्रोहा मार्ग संजय नगर निवासी पीयूष अग्रवाल गांधी चौक कोरबा में इलेक्ट्रिकल दुकान का संचालन करता है। 10 जुलाई की सुबह 7 बजे पीयूष ने जब सोकर उठा तो देखा कि उसके घर के छज्जे पर रखा एसी का आउट डोर यूनिट नहीं था। तब पीयूष को चोरी की आशंका होने पर घर के अन्य रिश्तदारों से जानकारी ली तो पता चला कि घर से दो नग धल्लू गैस सिलेन्डर, एसी का आउट डोर यूनिट एक नग, एक नग पुराना टूल्टू पम्प, दो नग हेक्स कंपनी का पुराना सीलिंग फंफू, तथा गूलक में रखे 4 हजार रुपए नगद तथा घर के स्टोर रूम में रखे लोहे के पुराना सरिया कबाड़ का समान को किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है।

प्रदेश महिला सहायता समूह संघ ने पीएम के नाम सौपा मांगों का ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज ►► लोरमी

नगर की महिला समूह की जिला पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ महिला सहायता समूह के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर एडिशनल कलेक्टर निष्ठा पांडे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिलाओं ने जिले के 1786 महिला समूहों के 26 हजार परिवारों के 3 लाख लोग हैं। पूर्व में प्रदेश में रेडी टू ईट फूड निर्माण व वितरण का सम्पूर्ण कार्य करते थे जिसे कांग्रेस सरकार ने छीन लिया था। मोदी की दी गई गारंटी के अनुसार रेडी टू ईट फूड निर्माण एवं वितरण का कार्य महिला समूहों को पुनः दिए जाने की गारंटी दी गई थी। ज्ञापन सौंपने



मांगों पर ज्ञापन सौंपते समूह की महिलाएं।

वालों में बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष अंजना देवी, रेखा ठाकुर जिला अध्यक्ष रेडी टू ईट संघ, राजकुमारी, रूखमणी सहित अन्य सचिव सोनल जैन, उपाध्यक्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बैठक लेकर विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की

हरिभूमि न्यूज ►► मुंगेली

कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय ने नगरपालिका परिषद मुंगेली के सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत समस्त कार्यों को 31 जुलाई तक शुरू करने के

निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में अपूर्णता को लेकर सहायक अधिकारी दुर्जेश कुरें को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा। उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ ने नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत समस्त स्वीकृत कार्यों के टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराने के लिए कहा। साथ सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निष्पक्ष अर्थ में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भवन अनुज्ञा के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर निर्धारित समय में निराकृत करें। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर अजय शतरंज, प्रभारी नगर पालिका सीएमओ घनश्याम शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव के नगर आगमन पर जनप्रतिनिधियों ने नगर पालिका शहरी क्षेत्र में ठप पड़े विकास कार्यों की जानकारी दी। नगर पालिका में जिम्मेदार पूर्णकालिक अधिकारियों की कमी रहने के साथ ही पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के चलते विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। स्वीकृत कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है।

पूर्ववर्ती सरकार पांच साल में भी नहीं रोक पाई मवेशी

हरिभूमि न्यूज ►► मुंगेली

प्रदेश भर में रोका छेका अभियान हुआ फेला। नगर से लेकर गांव तक सड़कों पर रहता है पशुओं का झुंड। कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में यह अभियान पूरी तरह से फेल साबित हुआ। भाजपा सरकार के गठन के 6 महीने बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस सरकार ने नरूवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के अलावा रोका छेका अभियान चलाया, यह दोनों योजनाएं पांच साल चली, परंतु ऐसी छाप नहीं छोड़ पाई, जिससे यह योजनाएं आज भी जिंदा रहती। रोका छेका अभियान तो पांच साल में पूरी तरह से फेल रहा, पांच साल में एक भी मवेशी मालिक पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। भाजपा सरकार को बने आठ माह हो गए, परंतु इस मुद्दे पर मौन साधे हुए है। कांग्रेस फसल के समय पशुधन को खरीस सरकार प्रत्येक वर्ष रोका छेका अभियान चलाती थी।

रोका छेका अभियान फेल, नगर से लेकर गांव तक सड़कों पर रहता है पशुओं का झुंड



सड़क पर जानवरों का झुंड।

इसके तहत कुछ दिन कार्रवाई होती थी, उसके बाद जस का तस हाल हो जाता था। सरकार का आदेश था कि आवारा पशुओं को बाजार अथवा सार्वजनिक गली, स्थानों व सड़कों पर घूमने नजर आने पर तुरंत पकड़कर गोठान के सपुर्द करें। पशुपालक अपने पशुओं को सड़कों पर न छोड़े, ऐसे में पशु पालकों को समझाईश भी देने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी जानवर सड़कों पर दिखे तो संबंधित पशु

होने के बाद कांग्रेस काल में तो मवेशी मालिक पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और न ही सड़कों पर घूमने वाले जानवर को रोक पाई। कांग्रेस सरकार इस विषय पर पांच साल सबसे ज्यादा असफल रही। भाजपा ने इस मामले में अभी तक मौन साध रखा है, जबकि यह सबसे बड़ी समस्या प्रदेश के लिए बनी हुई है। जिला मुख्यालय में चौक-चौराहों पर मवेशी नजर आते हैं, सबसे ज्यादा शहर से लगे ग्रामों की सड़कों एवं मुख्य मार्गों पर जानवरों का झुंड खड़े रहता है। जिससे वाहन चालकों को गाड़ी की रफ्तार धीमी कर वाहन चलाना पड़ता है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के गांव की मुख्य सड़कों पर ऐसी कई जगह हैं, जहां पर मवेशी अंधेरा होते ही शाम को पहुंच जाते हैं। कई स्थानों पर दिन में ही मवेशी सड़कों पर बैठे रहते हैं। सामान्यतया इन मवेशियों को हटाने की कार्रवाई नगर पालिका करता है, किंतु अब यह अभियान लगभग बंद पड़ा हुआ है।

डिजाइट वलॉय में लगी आग लाखों का माल खाक

हरिभूमि न्यूज ►► मुंगेली

कोरबा। जिले में आगजनी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश का सीजन शुरू होने के बाद भी आग लगने की घटना बढ़तूर जारी है। रविवार की रात एक कच्चा दुकान में देर रात आगजनी की घटना सामने आयी। दमकल की टीम को आगजनी की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और अतिरिक्त दमकल के बाद आग को काबू किया गया।

न्यायालय श्रीमान अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बिलासपुर (छ.ग.)

(पीदासीन अधिकारी) श्री अनिल प्रभात मिश्र
श्रीमती मंजू तिवारीआवेदिका
// विरुद्ध //
आम जनता + 02अनावेदकगण
अपील प्र. क्र. A/17/24
पेशी ता. 27.08.2024
आदेश दिनांक 27.06.2024
प्रोसेस क्र. 205-6-24
प्रोसेस क्र. 202/2024
इस न्यायालय में आवेदिका श्रीमती मंजू तिवारी के द्वारा अनावेदकगण के विरुद्ध अपील प्रकाशित किया गया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 27.08.2024 को दिन के 11:00 बजे दावा प्रकट करना उतर देने के लिए उपसंजता (हाजिरी) होने के लिए नोटिस /समंस का प्रकाशन किया जाता है। आप इस न्यायालय में स्वयं या किसी वकील/अधिवक्ता के द्वारा उपसंजता हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और इस दावा से संबंधित सभी दस्तावेज प्रमाणों का उतर दे सकें, तथा उन सभी दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रहे जिस पर आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं। आपकी सूचित किया जाता है कि आप उक्त तारीख को इस न्यायालय में हाजिर नहीं होंगे तो आपके विरुद्ध दावा की एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दावा का निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पेशी तारीख 27.08.2024 को अवकाश घोषित हो जाता है तो प्रकरण को सुनवाई आगामी कार्य दिवस को की जायेगी। आम दिनांक 15/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया। स्थान:- बिलासपुर (छ.ग.) (श्री अनिल प्रभात मिश्र) अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संसाधन प्रबंधन प्रक्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)
आम सूचना
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल दीनदयाल आवास, मंगला, बिलासपुर (छ.ग.) में निर्मित कमरों का एल.आई.जी.-557 श्रीमती कल्पना तिवारी पति श्री गिरीश कुमार तिवारी के नाम पर नामांतरित है। भवन का विक्रय वित्तिय दिनांक 24.03.2015 को पंजीकृत किया गया है। इसके उपरान्त केन द्वारा विक्रय वित्तिय दिनांक 16.04.2024 को पंजीकृत करने के पश्चात उक्त भवन को श्रीमती अर्चना निपाटी पति श्री शशांक त्रिवेदी के नाम पर नामांतरण करने हेतु आवेदन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति/ शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ वित्तीय संस्था/ बैंक आदि को इस भवन के नामांतरण/ हस्तांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अयोध्याकरनाई इस कार्यालय में लिखित रूप से मध्य प्रमाणित दस्तावेज सहित दावा/आपत्ति कर सकता है अन्यथा इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिन के बाद में कोई दावा / आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल नियमानुसार उनके पक्ष में नामांतरण/ हस्तांतरण कार्यवाही की जायेगी।
संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संसाधन प्रबंधन प्रक्षेत्र- बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार सकरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
ईशतहार
रा.प्र.क्र.361/अ-6-अ/2023-24
ग्राम-उत्तारपुर-हलौल-सकरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
एतद द्वारा सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदन प्रेषांकर गया पिता स्व. दिव्यनाथ गुमा आदि गुमा निवासी गौरीगंजी नगर रोड कच्छय कार्वाही तहसील व जिला बिलासपुर के द्वारा नाम उखापर पहन 26 रामीन सकरी तहसील सकरी व जिला बिलासपुर रिश्त भूमि खसरा नंबर 205/57 में से रकबा 4440 वर्ग फुट 412.639 वर्ग मीटर भूमि स्थित है जो कि वर्तमान में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन अभिलेख त्रुटिपूर्ण अनावेदिका क्रमांक 02 जेम्मा लकड़ा के नाम पर दर्ज हो गया है। जो कि उक्त भूमि को विधेता अनावेदक क्रमांक 01 सुभाष यादव पिता गोषया यादव से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से करा किया गया परंतु वर्तमान में ऑनलाईन में त्रुटिपूर्ण अनावेदिका क्रमांक 02 जेम्मा लकड़ा के नाम पर दर्ज हो गया है जिसे सुधार किये जाने हेतु आवेदन पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर प्रति प्रस्तुत किया गया है। जो इस कार्यालय में जमा किया जा रहा है। जो इस कार्यालय में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपना दावा/आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में निवर्त पेशी दिनांक 22/07/2024 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
नायब तहसीलदार, सकरी

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.
राजस्व मामले का नोटिस
क्रमांक/क/र/व/च/ 2024
बिलासपुर, दिनांक 04/07/2024
एतद द्वारा श्री भूपेन्द्र, गनेन्द्र, पदमावती, पुष्पा सभी पिता स्व. बिजलुराम भारद्वाज, मेहश्वरी भारद्वाज पति स्व. बिजलुराम भारद्वाज, अमरदीप संदीप, पुनम ममता सभी पिता रामकिशोर सभी निवासी सेन्दरी को सूचित किया जाता है कि प्रा. सेन्दरी प.ह.नं. 46 तहसील बिलासपुर स्थित भूमि ख.नं. 539/2,726/1, 766,773,851 रकबा 0.03150 0.0120, 0.2950, 0.0810, 0.1820 हे. एकड़ / हेक्टेयर भूमि की खता विभाज के लिए श्री/श्रीमति हिन्देन्द्र कुमार, पिता/पति स्व. बिजलुराम भारद्वाज निवासी सेन्दरी द्वारा आवेदन किया गया।
उक्त प्रकरण के सुनवाई दिनांक 19/7/2024 के लिए निश्चित है। अतः आज दिनांक 19/07/2024 को सुबह 11:00 बजे स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर दावा / आपत्ति पेश कर सकते हैं। समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेगे।
आज दिनांक 04/07/2024 को मेरे मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी।
तहसीलदार बिलासपुर

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे द्वारा श्री चन्द्रधर पिपाटी पिता श्री दिनेश कुमार रिपाटी निवासी मिनावा कोलीनी के पास मंगला बिलासपुर से इनके द्वारा अनुबंधित एवं मुख्यालय आम कि भूमि निस्के मूल भूस्वामी श्री राम नारायण यादव पिता श्री भारत लाल यादव के नाम पर मौजा अरईवंद प.ह.नं. 57, रा.नि.मं. जरीया, विक्रय खण्ड तखतपुर तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर में स्थित भूमि का खसरा नं. 783/40, रकबा 0.1220 हेक्टेयर, खसरा नं. 484/27, रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा नं. 784/28, रकबा 0.0650 हेक्टेयर, खसरा नं. 785/72 रकबा 0.3230 हेक्टेयर, खसरा नं. 785/73, रकबा 0.1580 हेक्टेयर, एवं खसरा नं. 785/74, रकबा 0.0870 कुल खसरा 7 का कुल रकबा 0.8181हेक्टेयर (2.02एकड़) भूमि चन्द्रधर पिपाटी पिता श्री दिनेश कुमार रिपाटी से खरीदने का पक्का सौदा कर व्याज राशि दी जा चुकी है इस बाबद यदि किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय या अन्य किसी को यदि किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के अंदर समस्त कागजात सहित भेरे यहां उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति प्रकट कर सकता है तथा उसके बाद की गई किसी भी सूचना को कोई भी आपत्ति मान्य नहीं प्रकृत जाने।
भवदीय
श्रीमति सपनी श्रवास्तव
मो. 8770160616

न्यायालय तहसीलदार सकरी, जिला बिलासपुर
ईशतहार
रा.प्र.क्र./अ-6-अ/2023-2024
एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 47 तहसील सकरी जिला बिलासपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक उद्यमनि रिपाटी पिता अयोध्या प्रसाद रिपाटी निवासी ग्राम सकरी, तहसील सकरी, जिला बिलासपुर ने छ.ग. भूराजस्व सहित 1959 की बारा 115 के तहत नं आवेदन किया है कि ग्राम पण्डरी, प.ह.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में से भूखण्ड क्रमांक 47 रकबा 2016 मण्डल भूमि को विधेता पवनलाल प्रसाद प्रसाद रिपाटी रायपुर द्वारा इयारस्वर भीतीलाल दयालानी से करा किया है। कथ पश्चात दिनांक 10.07.2013 को नामांतरण करारकर खसरा नंबर 1172/11 रकबा 0.0918 हे. आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज वला आ रहा था लेकिन वर्ष 2016-2017 के बाद उक्त खसरा नंबर आवेदक का नाम विलीनित होकर अनावेदक क्रमांक 0 डी. डी. एच.नं. 47 तहसील सकरी रिश्त भूमि खसरा नंबर 1172/4 में